न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 161/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. नवलदान पुत्र मानसिंह जाति चारण निवासी— रेन्दडी तहसी— सोजत, जिला— पाली।	1.	गजेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह जाति चारण निवासी— ग्राम रेन्दडी, तहसील— सोजत, जिला— पाली
	02.	तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः—

01. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

02. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 27/09/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम रेन्दडी पटवार हल्का अलावास भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजरोड तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 145 के खसरा नम्बर 416 रकबा 4.7800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व अन्य सहखातेदारान व छतरसिंह पुत्र दुर्गादान, पीकंवर पत्नी दुर्गादारन, सुन्दरसिंह पुत्र दुगर्बादान के नाम इन्द्राज सुदा है, जिसमें से उक्त छतरसिंह, दीपकंवर व सुन्दरसिंह ने अपने सम्पूर्ण हक—हिस्से का हकतर्कनामा प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 24.10.2011 को तहरीर व तकमील कर दिया, जो नामान्तरण संख्या 1249 के जरिए इन्द्राज सुदा है था। उपरोक्त कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सायरकंवर पत्नी उम्मेदसिंह का नाम खातेदार इन्द्राज है, जिनका आज से करीब तीन माह पूर्व स्वर्गवास हो चुका है, जिनके उतराधिकार में दो पुत्र जितेन्द्रसिंह, विरेन्द्रसिंह व एक पुत्री गायत्रीकंवर है जो मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 6 है। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थी का 01/36+01/06 हक हिस्सा पूर्व से खातेदारी कब्जा काश्त का स्थित है तथा उक्त भूमि के सहखातेदार दीपकंवर पत्नी दुर्गादान का 01/36 हिस्सा, छतरसिंह पुत्र दुर्गादान का 01/36 हिस्सा व सुन्दरसिंह पुत्र दुर्गादान का 01/36 हिस्सा बना था, जिन्होने अपने सम्पूर्ण हक हिस्से को प्रार्थी को जरिए रजिस्टर्ड हकतर्कनामा के हकतर्क कर दिया। जिससे उक्त खातेदारान का 01/36—01/36—01/36 हक हिस्से का भी प्रार्थी खातेदार काश्तकार हो गया अर्थात प्रार्थी का सम्पूर्ण आराजीयात में 01/36+01/06+01/36 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का बनता है था। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 व अन्य सहखातेदारान का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार इन्द्राज सुदा है। वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त सामलाती व अविभाजित कृषि भूमि आई हुई स्थित है, जिस कृषि भूमि का आज दिनांक तक राजस्व रेकर्ड में वैध बंटवाडा नहीं हो रखा है, लेकिन सभी खातेदार काश्तकार मौखिक रूप से

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

अपने अपने हक हिस्से पर कब्जा काश्त उपयेाग उपभोग बिना किसी बाधा अडचन के करते आए है तथा प्रार्थी का अपने हक हिस्से की भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आया है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 बिना किसी वैध अधिकार के प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि में अनावश्यक अवैध कब्जा कर प्रार्थी के हिस्से की भूमि के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी करने पर आमदा है, अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा आए दिन प्रार्थी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी कर मौके पर विवाद उत्पन्न किया जाता रहा है तथा विवाद करता रहता है, जिसका कि अप्रार्थी संख्या 01 को कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं है। दिनांक 10.11.2021 को प्रार्थी वादस्थ कृषि भूमि में अपने हक हिस्से की सार संभाल हेतु मौके पर गया तो आगे मौके पर अप्रार्थी संख्या 01 आया था तथा प्रार्थी को प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग नहीं करने की एलानियां धमकियां देने लगा, जिस पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को हाथा जोडी की और ऐसा कृत्य नहीं करने बाबत् निवेदन किया, लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 नहीं माना और कहने लगा कि उक्त भूमि तुम्हारी कब्जा काश्त की हुई तो क्या हुआ, मैं तो तेरी भूमि पर अवैध कब्जा कर तुझे उक्त भूमि से बेदखल कर दूंगा तथा तुझे मौके पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग नहीं करने दूंगा, जिस पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को ऐसा कृत्य नहीं करने हेतु कहा तो अप्रार्थी संख्या 01 नाराज हो गया और कहने लगा कि उक्त भूमि पर तेरा कब्जा काश्त हुआ तो क्या हुआ तो क्या मै तो लाठी लकडी के बल पर तेरे हक हिस्से की भूमि पर अवैध कब्जा कर तुझे बेदख कर दूंगा जिस पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व अन्य सहखातेदारान अप्रार्थीगण से सम्पर्क कर वादस्थ कृषि भूमि का आपसी सहमति एवं स्वीकृति से तहसील कार्यालय सोजत चलकर वैध बंटवाडा करवाने हेतु निवेदन करने पर अप्रार्थीगण द्वारा साफ इंकार हो गए। वादस्थ कृषि भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य वैध विभाजन के विभाजन के अभाव में आए दिन खातेदरान के मध्य कब्जा काश्त, सीमाओं एवं धोरा पाली को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहते है तथा खातेदारान के एक दूसरे के कब्जा काश्त उपयोग उउपभोग मे दखल अंदाजी, विवाद की आशंका बनी रहती है, इसलिए प्रार्थी वादस्थ कृषि भूमि में अपने हक हिस्से की भूमि का अप्रार्थीगण से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करवाने के कानूनन अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 01 लाठी लकडी के बल पर प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि के कब्जा काश्त में दखल अंदाजी करने पर उतारू है तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर अवैध कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू है। साथ ही वादस्थ कृषि भूमि का बिना विधिक बंटवाडा करवाए अन्यत्र बेचान हस्तानान्तण करने पर उतारू है, जिसका कि अप्रार्थीगण को कोई वैध अधिकार प्राप्त नही है, इसलिए वादस्थ कृषि भूमि का अप्रार्थीगण बिना विधिक बंटवाडा करवाए विकय हस्तानान्तरण, रहन वसीयत इत्यादि करने से रोके जाने हेतु जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है, साथ ही वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण बाधा दखल कारित नहीं करे, जिस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्याय संग है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है, चूंकि वादस्थ भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी सामलाती कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है, जिस कृषि भूमि आज दिनांक तक राजस्व रेकर्ड में वैध बंटवाडा नहीं हो रखा है अर्थात वादस्थ भूमि अविभाजित भूमि है, वादस्थ भूमि में प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्सा व हकतर्कनामा से प्राप्त भूमि पर मौके पर मौखिक कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है तथा मौके पर प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान का अपने–अपने हक हिस्से की भूमि पर मौखिक रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी ने अपने हक हिस्से की

उपखण्ड अधिकारी,

भूमि पर लाखों रूपए विनियोजित कर उपजाउ योग्य बनाया है, अप्रार्थी संख्या 01 लाठी लकडी के बल पर प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखल अंदाजी कर प्रार्थी को बेदखल कर अवैध कब्जा करने पर उतारू है जिसका कि अप्रार्थी संख्या 01 को कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 उक्त विधि विरूद्ध कृत्य करने में सफल हो जाता है तो प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जाएगा, जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। इसलिए अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 01 वादस्थ भूमि का बिना विधिक बंटवाडा करवाए विशिष्ठ भू–भाग का अन्यत्र विक्रय हस्तांतरण करने पर उतारू है, जिसका कि अप्रार्थी संख्या 01 को कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं है।

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी ने यह राजस्व प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 01 को पाबंद फरमाया जावे कि सरहद मौजा ग्राम रेन्दडी पटवार हल्का अलावास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजरोड तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 145 के खसरा नम्बर 416 रकबा 4.7800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में प्रार्थी के हिस्से की भूमि के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण दखल न तो स्वयं करे और न ही अन्य से करावे, प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर अवैध कब्जा अप्रार्थीगण न तो स्वयं करे और न ही अन्य से करावे था वादस्थ भूमि का बंटवाडे के अभाव में अन्यत्र विक्रय हस्तानान्तरण, रहन वसीयत इत्यादि अप्रार्थीगण न तो स्वयं करे और न ही अन्य से करने तथा वादस्थ भूमि के मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखे जाने की ईस्तदुआ की।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जवाब प्रार्थना पत्र हेतु बार बार अवसर दिए जाने के बावजूद अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किए जाने का दिनांक 27.09.2022 को अवसर समाप्त कर जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी ने यह राजस्व प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया कि वादस्थ भूमि सामलाती कृषि भूमि है। प्रतिवादी वादस्थ भूमि का वैध बंटवाडा नही होने से वादी की कब्जा काश्त की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर वादी का हटाना चाहता है। इसलिए ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 01 को पाबंद फरमाया जावे कि सरहद मौजा ग्राम रेन्दडी पटवार हल्का अलावास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजरोड तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 145 के खसरा नम्बर 416 रकबा 4.7800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में प्रार्थी के हिस्से की भूमि के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण दखल न तो स्वयं करे और न ही अन्य से करावे, प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर अवैध कब्जा अप्रार्थीगण न तो स्वयं करे और न ही अन्य से करावे था वादस्थ भूमि का बंटवाडे के अभाव में अन्यत्र विक्रय हस्तानान्तरण, रहन वसीयत इत्यादि अप्रार्थीगण न तो स्वयं करे और न ही अन्य से करने तथा वादस्थ भूमि के मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखे जाने की ईस्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी ने व्यक्त किया कि वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में अविभाजित है। प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है। खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेघाज्ञा जारी नही की जा सकती । जिससे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र एवं फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः पक्षकारों के हक अधिकार दस्तावेजो के आधार पर तनकियात कायत होकर/साक्ष्य उभयपक्ष रेकर्ड पर वाद विवेचन/विश्लेषण कर विनिश्चय किया जावेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य वादस्थ भूमि के मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षो का जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की सादिर की जाती है सरहद मौजा ग्राम रेन्दडी पटवार हल्का अलावास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजरोड तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 145 के खसरा नम्बर 416 रकबा 4.7800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि की वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु उभय पक्षो को पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 27/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)